दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

प्रेस नोट

दिल्ली में बिजली उत्पादन कंपनियां – इन्द्रप्रस्थ पावर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल), पारेषण लाइसेंसधारी – दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) और बिजली वितरण यूटिलिटीज – टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने सकल राजस्व आवश्यकता का सत्यापन (एआरआर) वित्त वर्ष 2018–19 और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) वित्त वर्ष 2020–21 के टैरिफ निर्धारण के लिए अपनी याचिकाओं को दायर किया था। याचिकाओं के एडमिशन के बाद, याचिकाओं की कार्यकारी सारांश तैयार किए गए थे और उनकी याचिकाओं को सभी हितधारकों की सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

कोरोना वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण जिसे WHO (GoNCTD's Notification No.F.51 / DGHS / PH-IV / COVID19 / 2020 / prsecyffw / 2393-2407 दिनांकित 13/03/2020) द्वारा महामारी घोषित किया गया है, याचिकाओं पर जन सुनवाई जो दिनांक 18–03–2020 को निर्धारित की गई थी उसे रद्द कर दिया गया था । आयोग के निर्देशानुसार दिल्ली की विद्युत यूटिलिटीज ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपने कुल राजस्व आवश्यकताओं में COVID–19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की थी । उक्त अतिरिक्त जानकारी और उसके कार्यकारी सारांश को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तदनुसार वित्तवर्ष 2018–19 के व्ययों के सत्यापन और वित्तवर्ष 2020–21 के कुल राजस्व आवश्यकताओं से संबंधित टैरिफ पर टिप्पणियां/सुझाव मांगने की अंतिम तिथि जो पहले 20/03/2020 तक थी उसे 30/06/2020 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार आयोग ने सभी हितधारकों को टैरिफ निर्धारण से संबंधित मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया गया ।

आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2018–19 के सही क्रम के लिए विस्तृत आदेश और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर एवं प्रशुल्क समय के अनुसार जारी किया जाएगा। तदनुसार, आयोग ने 1 सितंबर 2020 से निम्नलिखित को लागू करने का निर्णय लिया है।

आयोग ने डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 के विनियमन 121 (4) के तहत पीपीएस–III, बवाना से बिजली के पुनः आवंटन को 00:00 बजे 1 सितंबर 2020 से 00:00 बजे 31 मार्च 2021 तक निम्नलिखित कारणों के आधार पर संशोधित किया है:

क) सभी वितरण लाइसेंसधारियों के अलग–अलग उपभोक्ता मिश्रण के कारण आवंटित बिजली पोर्टफोलियो की औसत बिजली खरीद लागत और औसत राजस्व के बीच अंतर को कम करना ।

ख) NDMC के अनुरोध पर तीस्ता– III से 142 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता के अनुमोदन दी गई , जिसे आज तक कार्यन्वित नहीं किया गया, हालाकि इस तथ्य से 125 मेगावाट का आबंटन बदरपुर पावर थर्मल स्टेशन को बंद किया गया ताकि वीआईपी क्षेत्रों में कोई लोड शेडिंग नहीं की जाए ।

Table 1: Re-allocation of Power among Delhi Distribution Licensees over & above ongoing allocation

Power Plant	BRPL		BYPL		TPDDL		NDMC	
	Present Allocation	Revised Allocation	Present Allocation	Revised Allocation	Present Allocation	Revised Allocation	Present Allocation	Revised Allocation
PPS-III, Bawana	38.91%	43.91%	22.50%	7.50%	27.19%	27.19%	9.12%	19.12%

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ अनुसूची की मुख्य विशेषताएं

COVID–19 महामारी के प्रकोप के कारण आयोग ने इस वित्त वर्ष 2020–21 टैरिफ में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है ।

1. मशरूम की खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए, आयोग ने मशरूम की खेती की श्रेणी के लिए मौजूदा ऊर्जा शुल्क को रुपये 6.50 प्रति KWH से घटाकर रुपये 3.50 प्रति KWH कर दिया है।

2. टीओडी टैरिफ में 20**%** अधिभार **/** रिबेट की छूट:

इस COVID–19 की स्थिति में गैर–घरेलू, औद्योगिक, सार्वजनिक यूटिलिटीज और घरेलू उपभोक्ताओं (वैकल्पिक) आदि की सुविधा के लिए, आयोग ने टीओडी टैरिफ के तहत मौजूदा 20% अधिभार को सितंबर 2020 के लिए माफ कर दिया है।

3. पेंशन ट्रस्ट अधिभार में वृद्धि :

GoNCTD से प्राप्त अनुरोध के आधार पर DVB कर्मचारियों के हित एवम कल्याण हेतू मौजूदा पेंशन राशि रुपय 839 करोड (वित्त वर्ष 2019–20) से रुपये 937 करोड़ (वित्त वर्ष 2020–21) वृद्धि के लिए, मौजूदा पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज को 3.80% से बढ़ाकर 5.00% की मामूली वृद्धि की गई है ।

4. ई–वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए समान टैरिफ :

प्रदूषण मुक्त परिवहन और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने ई–रिक्शा **/** ई–वाहन श्रेणी के लिए रियायती टैरिफ दरों के साथ जारी रखने का फैसला किया है। सिंगल पॉइंट डिलीवरी पर ई–रिक्शा **/** ई–वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशनों के लिए शुल्क जैसा कि टैरिफ अनुसूची में अधिसूचित किया गया है की स्वैपिंग सुविधाओं पर बैटरी चार्ज करने के लिए भी लागू होगा बशर्ते कि ऐसी स्वैपिंग सुविधाओं का उपयोग केवल ई–रिक्शा **/** ई–वाहन की बैटरी की स्वैपिंग के लिए किया जाए । अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए आवेदक द्वारा एक अलग बिजली कनेक्शन लिया जाएगा। आवेदक ऐसे उद्देश्यों के लिए अलग से मीटिरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। गैर–घरेलू श्रेणी के लिए लागू टैरिफ उस पर लागू होगा ।

5. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेशों से प्रभावित मैथन पावर लिमिटेड, पीपीएस– III बवाना और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के विभिन्न तिमाहियों के पीपी,सी को आंशिक रूप से लागत वसूल करने के लिए लगभग 1187 करोड़ रुपये के लिए जुलाई 2020 में

लागू अनंतिम पीपीएसी मार्च 2021 तक बीआरपील और टीपीडीडील के लिए और जनवरी 2021 तक बीवाईपील के लिए जारी रखने की अनुशंसा की जाती है ।

6. आयोग ने डिस्काम्स के काउंटर पर रुपये **4000 /** – तक नकद जमा के मौजूदा सीमा को बरकरार रखा है।

7. आयोग ने उपभोक्ताओं द्वारा रुपये **50000 /** – तक की नकदी में बिजली बिलों के नामित निर्धारित वाणिजियक बैक शाखाओं द्वारा भुगतान की अनुमति दी है।

8. सिविल अपील क्रमांक 884/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आयोग द्वारा जमा राजस्व अंतर की मूल राशि के क्रमिक परिसमापन के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं पर 8% अतिरिक्त अधिभार की लेवी में कोई बदलाव नहीं है।